न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— रणजीत कुमार आर.ए.एस.
अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 89/2024

सुनील कुमार पुत्र स्व. श्री भीमसेन, जाति बैरागी, आयु 52 वर्ष, निवासी 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. सुमेर सिडाना पुत्र भूपेन्द्र कुमार सिडाना, जाति अरोड़ा, निवासी 64 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर ।
2. संजीव कुमार पुत्र श्री गंगाराम, जाति अग्रवाल, निवासी 07 माया विहार, नजदीक गुड्स शैर्डस स्कूल, श्रीगंगानगर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री सुखदेव सिंह — — प्रार्थी
2. श्री दिनेश छाबड़ा — — अप्रार्थी 1 व 2

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 08.01.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी ग्राम 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर का हिस्सेदार काश्तकार है, प्रार्थी के नाम ग्राम 15 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्याः — 63/51 में मुरब्बा नम्बरः — 21 व मुरब्बा नम्बरः — 22 में संयुक्त खाता में 6.2000 हैक्टयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकोर्ड में हैं। जिसमें प्रार्थी को 1/8 हिस्सा दर्ज रेवन्यू रिकोर्ड हैं। जो कि वर्तमान में प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। जमाबंदी चालू की नकल शामिल हैं। प्रार्थी के पिता स्व. भीमसेन पुत्र स्व. श्री चरणदास को ग्राम 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर— 21 व मुरब्बा नम्बर—22 में कुल 6.325 है. कृषि भूमि नहरी पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त हुई और प्रार्थी के पिता भीमसेन के रियल चाचा नोपतराम को ग्राम 15 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर— 36 व 37 में कुल 6.255 है. कृषि भूमि नहरी बंटवारा में प्राप्त हुई, मुरब्बा नम्बर 21, 22, व 36, 37 की जमाबंदी की कॉपी संलग्न हैं। प्रार्थी के पिता का देहांत हो जाने के कारण ग्राम 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बरः— 21 व 22 की कृषि भूमि भीमसैन के वारिसान के नाम में रेवन्यू रिकोर्ड में दर्ज हुई और प्रार्थी के पिता भीमसैन के सगे चाचा नोपतराम का देहांत हो जाने के कारण चक 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 36 व 37 की कृषि भूमि नोपत राम के वारिसान राजेश कुमार, नरेश कुमार, योगेश कुमार, कुलदीप कुमार के नाम रेवेन्यू रिकोर्ड में दर्ज कागजात हुई हैं। प्रार्थी के पिता स्व. श्री भीमसेन के जीवन काल में प्रार्थी के सगे चाचा स्व. श्री नौपतराम के द्वारा अपनी पूर्ण सहमति से एवं अपने पुत्रो नरेश कुमार, राजेश कुमार एवं योगेश कुमार से मिलकर एक शपथ—पत्र एवं एक इकरारनामा (ता लाईफ रास्ता के बाबात) प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पिता स्व. श्री भीमसेन के हक में लिखकर दिया की मिकरान के नाम से चक 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 01, 02, 03, 04 में से रास्ता 14 फुट चौड़ा छोड़ा हुआ, जो भीमसैन पुत्र स्व. चरणदास एवं उसके परिवार के समस्त लोग अपने खेत यानि चक 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बरः –21 आ जा सकेंगें, उक्त रास्ता को हम किसी भी सूरत में अपने कब्जा में नहीं ले सकेंगे। भूमि में जगह बतौर रास्ता के लिए ही रहेगी, जिसके लिये एक इकरारनामा ता लाईफ का भी तहरीर कर दिया है, शपथ–पत्र व ईकरारनामा दिनांक 18.12.2003 की फोटो कॉपी साथ संलग्न हैं। प्रार्थी के ग्राम 15 जैड के मुरब्बा नम्बर 21 व 22 में स्थित रकबा को आने जाने के लिये मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 01, 02, 03, 04 में से 14 फुट चौड़ा (4 बीघा लम्बा) एवं किला नम्बरः– 5 में से 14 फुट चौड़ा एवं 25 फीट लम्बा रास्ता मौका पर चल रहा है, अन्य कोई और रास्ता नहीं हैं। मगर प्रार्थी के पिता भीमसैन के सगे चाचा नोपतराम के पुत्रों राजेश कुमार वगैरा द्वारा ग्राम 15 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 36 की कृषि भूमि किला नम्बर 01, 02, 03, 04 एवं 05 जिसमें मौके पर रास्ता चालू है को अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को दिनांक 11.03. 2024 को बेचान कर दिया गया है और वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मुरब्बा नम्बरः– 36 पर काबिज हैं। अब अप्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड का अनुचित लाभ उठाकर उपरोक्त रास्ता को बंद करने के प्रयास में हैं। अतः प्रार्थी के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है, जिसका राजस्व रिकोर्ड में भी मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बरः– 01, 02, 03, 04 की उत्तर साईड में 14 फुट चौड़ा और 4 बीघा लम्बा एवं किला नम्बर 05 में 14 फीट चौड़ा और 25 फुट लम्बा उत्तर साईड में, जो कि करीबन 60 साल पुराना प्रचलित रास्ता चला आ रहा है तथा भविष्य में किसी प्रकार कोई विवाद ना हों। स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थना–पत्र काबिल समाउत अदालत वाला का है तथा उचित न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा है तथा वाद के समर्थन में शपथ–पत्र शामिल हैं। लिहाजा प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन है कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम 15 जैड के मुरब्बा नम्बर 21, 22 के लिए अप्रार्थीगण के रकबा ग्राम 15 जैड के खाता संख्याः–78/32 एवं खाता संख्या 108/32 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बरः दृ 01, 02, 03, 04 की उत्तर साईड में प्रचलित रास्ता 14 फुट चौड़ा एवं चार बीघा लम्बा एवं किला नम्बर 05 की उत्तरसाईड में 14 फुट चौड़ा एवं 25 फुट लम्बा रास्ता जो मौके पर चालू अवस्था मे है, को स्वीकर करने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी/प्रथम पक्षकार की कृषि भूमि ग्राम 15 जैड के मुरब्बा नम्बर 21, 22 के लिए अप्रार्थीगण/द्वितीय पक्षकारान के रकबा ग्राम 15 जैड के खाता संख्याः–78/32 एवं खाता संख्या 108/32 के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 01, 02, 03, 04 की उत्तर साईड में प्रचलित रास्ता 14 फुट चौड़ा एवं चार बीघा लम्बा एवं किला नम्बर 05 की उत्तरसाईड में 14 फुट चौड़ा एवं 25 फुट लम्बा रास्ता जो मौके पर चालू अवस्था मे है, को स्वीकर करने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावें, जिसमें द्वितीय पक्षकारान की पूर्ण सहमति है, इसके अलावा द्वितीय पक्षकारान उक्त भूमि के बदले किसी प्रकार का मुआवजा या उक्त भूमि के बदले में भूमि प्राप्त करना नहीं चाहता हैं। द्वितीय पक्षकारान भविष्य में उक्त रास्ता के सम्बंध में किसी प्रकार कोई प्रतिफल या कोई मांग प्रथम पक्षकार से नहीं करेंगे ना ही कोई वाद–विवाद करेंगें। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामा को रिकोर्ड पर लिया जाकर राजीनामा अनुसार वाद का निस्तारण करने की कृपा करे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर मुकदमा 89/2024
अनवान सुनील कुमार बनाम सुमेर सिडाना

प्रार्थना पत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर चक 15 जैड के खाता संख्याः-78/32 एवं खाता संख्या 108/32 के मुरब्बा नम्बरः- 36 के किला नम्बरः- 01, 02, 03, 04 की उत्तर साईड में प्रचलित रास्ता 14 फुट चौड़ा एवं चार बीघा लम्बा एवं किला नम्बर 05 की उत्तरसाईड में 14 फुट चौड़ा एवं 25 फुट लम्बा रास्ता जो मौके पर चालू अवस्था मे है, को बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते के मुआवजे की मांग नहीं की गई है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर नियमानुसार रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दराम करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 08.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner